

19.12.2024, वकील प्राथीनी अणुपारथित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी सूरत में आवेदन पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं है। लिहाजा प्राथीनी का आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा